श्री राजेश कुमार, भा०प्र०से०, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा दिनांक 16.04.2025 को पूर्वा० 10.15 बजे प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय, रानीगंज का किये गये औचक निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :–

आज दिनांक 16.04.2025 को पूर्वा० 10.15 बजे प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय, रानीगंज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में प्रखंड कार्यालय में तालाबंद पाया गया। अंचल कार्यालय के कमरे खुले थे, जिसमें अंचल के निम्नलिखित कर्मी उपस्थित थे –

1. श्री संजय कुमार, प्रधान लिपिक।
2. देवी, कार्यालय परिचारी।
3. पूनम कुमारी कार्यालय परिचारी।

कार्यालय के अंदर काफी गंदगी फैला हुआ पाया गया। एक सफाई कर्मी सफाई करता हुआ पाया गया। बायोमेट्रिक कार्यालय के बाहर अधिष्टापित नहीं है। इसके उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानीगंज के साथ प्रखंड परिसर में अवस्थित अन्य कार्यालयों यथा – प्रखंड कृषि कार्यालय, जिविका पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया।

प्रखंड कार्यालय, रानीगंज :–

लगभग 10.30 बजे प्रधान लिपिक सहित कतिपय अन्य कर्मी उपस्थित हुए। प्रखंड कार्यालय, रानीगंज का रोकड़वही दिनांक 31.03.2025 तक संधारित पाया गया। असमायोजित अग्रिम के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। अग्रिम समायोजन हेतु की जा रही कार्रवाई के संदर्भ में प्रधान लिपिक तथा नाजीर द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सका। प्रखंड निर्गत पंजी का अवलोकन किया। दिनांक–15.03.2025 की तिथि में 306, 307 खाली पाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानीगंज द्वारा आवास योजना का स्वीकृती का कार्य कार्यालय परिसर में कैम्प लगाकर निष्पादन किया जा रहा है। यह बताया गया कि लगभग 5500 PMAY आवास की स्वीकृति हेतु डाटाइंट्री की कार्रवाई कैम्प लगाकर की जा रही है। किन्तु अबतक लगभग 700 का ही भुगतान की स्थिति हो सकी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को लंबित कार्यो को शीघ्र पुरा करने का निदेश दिया गया।

अंचल कार्यालय, रानीगंज :–

अंचल कार्यालय का रोकड़वही, सैरात पंजी, बन्दोवस्ती पंजी, अनुग्रह अनुदान पंजी, अग्रिम पंजी आदि उपस्थापित करने हेतु कहने पर बताया गया कि उपरोक्त सभी पंजी श्री मणिभुषण मिश्रा, अंचल नाजीर के प्रभार में है तथा यह कि अंचल नाजीर आज अररिया में आपदा प्रबंधन के ट्रेनिंग में है। इस कारण जाँच नहीं हो सका। अंचल अधिकारी को नियमानुसार सभी पंजी विधिवत रूप से संधारित करने का निदेश दिया जाता है।

जमीन मापी की समीक्षा की गई। अंचल कार्यालय में कुल 05 अमीन कार्यरत हैं। तथा यह बताया गया कि मात्र 24 मामले लंबित हैं। किन्तु मापी पंजी माह–जनवरी 25

P.T.O.

तक ही संधारित पाया गया। इस संबंध में संबंधित कर्मी द्वारा कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया गया।

बाल विकास परियोजना, रानीगंज :–

बाल विकास परियोजना कार्यालय, रानीगंज का कार्यालय उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि उपस्थिति पंजी में कई महिला पर्यवेक्षिका एवं कर्मी की उपस्थिति अनियमित रूप से अंकित है। कई कर्मी लंबी अवधि से अनुपस्थित हैं। यह बताया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अवकाश पर हैं तथा सभी महिला पर्यवेक्षिका क्षेत्र में हैं।

प्रखंड कृषि कार्यालय, रानीगंज :–

प्रखंड कृषि पदाधिकारी, रानीगंज के कार्यालय में कोई भी कर्मी उपस्थित नहीं पाये गये।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रखंड –सह– अंचल कार्यालय परिसर में कई शिकायतकर्त्ता अपनी–अपनी शिकायत को लेकर उपस्थित थे। यह पाया गया कि मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारीक सूची, राजस्व संबंधी मामले में ससमय कार्य नहीं होने की शिकायत है। उपस्थित शिकायतकर्त्ता श्री रिंकू ने बताया कि उनकी जमीन पर निबंधन रोक के मामले में उनके द्वारा माह अगस्त 2024 में ही अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया था किन्तु अबतक कार्य नहीं हुआ है। मामला सरकारी जमीन से संबंधित प्रतीत होता है। अतः इस संबंध में अंचल अधिकारी को सभी अभिलेखों की स्वयं जाँच कर कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को सप्ताह में तिथि निर्धारित कर लोगों से मिलने तथा कार्य को तेजी से निपटाने का निदेश दिया गया।

निरीक्षण के उपरान्त निम्नांकित निदेश दिया जाता है :–

1. आज के निरिक्षण में पाये गये सभी अनुपस्थित कर्मियों का आज दिनांक–16.04.2025 का आधे दिन का वेतन/मानदेय स्थगित रहेगा। जिला पदाधिकारी आवश्यक जाँच कर अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
2. सभी कार्यालय में Biometric Machine का विधिवत् अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाय। Biometric उपस्थिति के आधार पर सरकार के निदेशों के अनुसार ही वेतन/मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जाय।
3. इसकी समीक्षा कर ली जाय कि एक ही कर्मी अंचल नाजीर श्री मणिभुषण मिश्रा को नजारत के प्रभार के साथ–साथ कई अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रभार क्यों दिया गया है। क्या अन्य कोई योग्य कर्मी नहीं है। साथ ही इनके आपदा प्रबंधन के ट्रेनिंग में भाग लेने के अभिकथन की जाँच/संपुष्टि की जाय।
4. प्रखंड कार्यालय तथा अंचल कार्यालय में सभी अभिलेखों का उचित ढ़ंग से संधारण किया जाय। सभी कार्यालय पंजी का विधिवत संधारण किया जाय। असमायोजित अग्रिम की वसूली हेतु समयवद्ध रूप से कार्रवाई की जाय।
5. बाल विकास परियोजना कार्यालय, रानीगंज के उपस्थिति पंजी में अनियमित संधारण के संदर्भ में स्पष्टीकरण पूछा जाय। इसके अतिरिक्त इसकी जाँच कर ली जाय कि जो कर्मी विगत माहों में अनुपस्थित रहे हैं उनके अवकाश स्वीकृति की तथा

वेतन/मानदेय भुगतान की क्या स्थिति है। इस संबंध में कर्मी–वार विगत 6 माह का प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय।

6. प्रखंड कृषि कार्यालय, रानीगंज के बंद रहने के संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अररिया अपना स्पष्टीकरण उचित माध्यम से उपस्थापित करेंगे।

जिला पदाधिकारी, अररिया उपरोक्त निरीक्षण बिन्दुओं के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। ।

प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का विधिवत निरीक्षण दिनांक–15.05.2025 को 10.00 बजे पूर्वाह्न में किया जायेगा। निरीक्षण हेतु टिप्पणी दिनांक– 10.05.2025 तक उपलब्ध कराया जाय। निरीक्षण में अपर समाहर्त्ता, उप विकास आयुक्त तथा अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया उपस्थित रहेंगे।

ह0/–
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक 94 /दिनांक 16/04/2025

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदा0/अंचल अधिकारी/बाल विकास परियोजना पदा0/प्रखंड कृषि पदा0, रानीगंज, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला कार्यक्रम पदा0 ICDS, अररिया/जिला कृषि पदा0, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, अररिया/अपर समाहर्त्ता, राजस्व, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajek.
16/4/2025.
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया